Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नगर परिषद अलवर में पार्षद सहित दो ठेकेदार 5 लाख 15 हजार रूपये रिश्वत लेन–देन करने पर गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *17 फरवरी, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.आई.यू. इकाई जयपुर व सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज अलवर में संयुक्त ट्रेप कार्यवाही करते हुए नगर परिषद अलवर वार्ड नं. 30 के पार्षद नरेन्द्र मीणा व ठेकेदार संजीव भार्गव, रमेश चन्द गुप्ता को कार्यादेश जारी करने की एवज में बतौर कमिशन 5 लाख 15 हजार रूपये रिश्वत लेन–देन करते हुए गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. मुख्यालय को सुत्र सूचना प्राप्त हुई कि नगर परिषद अलवर में 15 करोड़ रूपये राशि के सिविल कार्य की निविदा जारी हुई है जिसे ठेकेदारो के पक्ष में निविदा जारी करने पर 2.5 प्रतिशत, तत्पश्चात कार्यादेश जारी करने की एवज में पुनः 2.5 प्रतिशत की कमिशन राशि का लेन–देन ठेकेदार, जन प्रतिनिधि व अन्य के बीच किया जाना है।

जिस पर ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देशन में एस.आई.यू. इकाई जयपुर के **अति0 पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** मय टीम, तकनीकी टीम एवं **श्री रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक** तथा सवाईमाधोपुर इकाई के **अति0 पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र शर्मा** मय टीम द्वारा आज अलवर में संयुक्त कार्यवाही करते हुए नगर परिषद अलवर वार्ड नं. 30 के पार्षद नरेन्द्र मीणा पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी फ्लैट नं. 202 ऑर्किट रेजीडेन्सी मोती डूगंरी अलवर तथा ठेकेदार संजीव भार्गव पुत्र स्व. भागीरथ भार्गव, निवासी 83 आर्य नगर अलवर व ठेकेदार रमेश चन्द गुप्ता पुत्र शिवदयाल गुप्ता निवासी मौहल्ला अखेपुरा अलवर को कार्यादेश जारी करने की एवज में बतौर कमिशन 5 लाख 15 हजार रूपये रिश्वत लेन–देन करते हुए अलवर में गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान से पूछताछ एवं निवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।